न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 231/2023

अनवान : –

1. सलमा बेगम पुत्री नसीर बेगम पत्नी यासीन खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर हाल बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. युसुफ अली पुत्र नसीर बेगम पत्नी नसीमुदीन जाति मुसलमान निवासी नोहर।
2. महमुदअली पुत्र नसीरबेगम पत्नी नसीमुदीन जाति मुसलमान निवासी नोहर।
3. फरीदखां पुत्र हिसामुदीन पुत्र नसीर बेगम पत्नी नसीमुदीन जाति मुसमलान निवासी नोहर।
4. शहीदा बेगम पत्नी हिसामुदीन पुत्र नसीर बेगम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मैमूना पुत्री हिसामुदीन पुत्र नसीर बेगम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. मदीना पुत्री हिसामुदीन पुत्र नसीर बेगम जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. विस्मला पुत्री नसीर बेगम पत्नी नसीमुदीन जाति मुसलमान निवासी चक 14 बीकेके तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 09/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा रौही मौजा 1 बी. के. कें. तहसील नोहर के खाता संख्या 32/32 पत्थर नम्बर 311/427 मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 3/1 की 0.0250 हैक्टेयर व किला नम्बर 3/2 की 0.2280 हैक्टेयर व किला नम्बर 4/1 की 0.0250 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व किला नम्बर 4/2 की 0.2280 हैक्टेयर व किला नम्बर 5/1 की 0.0260 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व किला नम्बर 5/2 की 0.2270 हैक्टेयर व किला नम्बर 6/0.2530, 7/0.2530, 8/8/0.2530, किला नम्बर 13/0.2530, 14/0.2530, 15/0.2530, 16/0.2530, 18/0.2530, 23/0.2530, किला नम्बर 24/2 की 0.1265 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 312/427 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 8/0.2530, 9/0.2530, 10/0.2530, 11/0.2530, 12/0.2530, 13/0.2530, 14/0.2530, 17/0.2530, 18/0.2530. 19/0.2530, 20/0.2530 कुल तादादी 6.1985 हैक्टेयर नसीरबेगम पत्नी नसीमूदीन जाति मुसलमान [illegible] की भूमि थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:35:34 IST
Reason: SelfAttested

सीर बेगम पत्नी [illegible] हो चुकी है तथा उसका पति नसीमुदीन उससे पहले ही [illegible] मृतका नसीर बे[illegible] जायज वारिसान सायला व गैर सायलान नम्बर 1 ता 7 है जिस[illegible] सायला व गैर साय[illegible]बर 7 दो उसकी लड़किया तथा गैर सायलान नम्बर 1 व 2 उसके दो लडके है तथा उसका एक लड़का महबूब

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अली लावल्द ही फौत हो चुका है तथा गैर सायलान नम्बर 3 ता 6 उसके मृतक पुत्र हिसामुदीन के लड़का व लड़किया व उसकी पत्नि है तथा नसीरबेगम पत्नी नसीमूदीन के जायज वारिसान व उसकी कृषि भूमि के मुस्लिम विधि के अनुसार हकदार व खातेदार काश्तकार है। (6)– यह कि आराजी जरई वाके रौही मौजा 1 बी. के. के. तहसील नोहर के खाता संख्या 32/32 कुल तादादी 6.1985 हैक्टेयर जिसका पूरा विवरण प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 4 में दर्ज है के सायला व गैर सायला नम्बर 1 ता 7 मुस्लिम विधि के Hanafi Law Of Inheritance की दफा 65 के अनुसार गैर सायलान नम्बर 1 व 2 तथा मृतक हिसामुदीन पुत्र नसीर बेगम के वारिसान गैर सायलान नम्बर 3 ता 6 छहो 2/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिससे गैर सायलान नम्बर 1 अकेला 1/3 हिस्सा का तथा गैर सायलान नम्बर 2 अकेला 1/3 हिस्सा का तथा गैर सायलान नम्बर 3 ता 6 चारों 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हैं तथा सायला व गैर सायला नम्बर 7 दोनो बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार मुस्लिम विधि के कानून के अनुसार हकदार व खातेदार काश्तकार है तथा इसी आशय की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है तथा यही बिनाय दावा है। गैर सायलान नम्बर 1 ता 3 व गैर सायला नम्बर 7 ने मृतक नसीर बेगम पत्नी नसीमुदीन जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर से मुस्लिम विधि के प्रावधान की अनेदेखी करते हुए मृतक नसीर बेगम की इच्छा के खिलाफ जाते हुए एक वसीयत दिनाक 18–12–2009 को अपने पक्ष करवाली जो उनको करवाने का कोई अधिकार नहीं था जबकि मुस्लिम विधि में वसीयत कुल सम्पति के 1/3 हिस्सा से ज्यादा नही करवाई जा सकती है तथा वसीयत अपने वारिसान के पक्ष में नही की जा सकती है तथा वसीयत दिनांक 18–12–2009 मुस्लिम विधि के प्रावधान के खिलाफ तथा प्रारंभिक रूप से शून्य है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व 7 को कोई अधिकार नहीं होते है तथा ना ही किसी प्रकार वसीयत के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त होते है। गैर सायलान उक्त शून्य वसीयत दिनांक 18–12–2009 के आधार पर वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर किसी अन्य को फरोख्त करने तथा सायला को उसके हक व हिस्सा से महरूम करने के लिए मौका व रिकार्ड की स्थिति परिवर्तित करने की योजना बना रहे है जिससे गैर सायलान का उपरोक्त मकसद पूरा होने से सायला को अपूर्णीय क्षति होती है तथा आयन्दा मुकदमेबाजी बढती है, जिससे सायला गैर सायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारी है अतः गैरसायलान को पाबन्द किया जावे की गैर सायलान नम्बर 1 ता 7 वादग्रस्त भूमि वाके रौही मौजा 1 बीकेके. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ खाता संया 32/32 कुल तादादी 6.1985 जिसका पूरा विवरण प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 4 में दर्ज है। गैर सायलान सायला के कब्जा काश्त में दखल ना दें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद अप्रार्थीगण उपस्थित नही व न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:35:34 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया माम[illegible]त्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन [illegible] हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने [illegible] है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ य[illegible] नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया की माता नसीर बेगम द्वारा दिनांक 18.12.2009 को एक वसीयत तस्दीक की गई है जबकि मुस्लिम विधि में 1/3 हिस्सा से अधिक भूमि की वसीयत नही की जा सकती है। उक्त भूमि में सायला का भी हक हिस्सा है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक प्रस्तुत चित्रप्रति वसीयत दिनांक 12.12.2009 के मुताबिक नसीर बेगम द्वारा वसीयत की गई है एवं प्रार्थी के अपने कथनों के समर्थन में उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 अध्याय 3 धारा 39 का दृष्टांत पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीया का अप्रार्थीगण विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 1 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 6.1985 हेक्ट भूमि में प्रार्थीया के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 09/09/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:35:34 IST
Reason: SelfAttested